

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 एवं ज्ञापांक 2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत डॉ० वीरेन्द्र नारायण यादव माननीय स०वि०प० सारण द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2019-20 अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल - 01, छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 747 दिनांक 06.03.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि० संगठन, कार्यप्रमंडल -01, छपरा के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन की राशि एवं अंचलाधिकारी, सदर, के पत्रांक 3086 दिनांक 27.11.2019 द्वारा भूमि उपलब्धता संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय सदस्य का नाम
1	सदर	सदर प्रखंड के यादव छात्रावास सलेमपुर में दो यूनिट शौचालय का निर्माण कार्य।	211000.00	211000.00	डॉ० वीरेन्द्र नारायण यादव
कुल योग :-			211000.00	211000.00	


(प्रशासनिक स्वीकृति की राशि) दो लाख ग्यारह हजार रुपये मात्र।

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजना का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल- 01, छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।


कार्यान्वयन की शर्तें

- सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक - 23.09.14 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजना के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
- योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
- योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
- योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
- योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
- योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए ताकि इन नवसृजित योजना का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
- योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
- अंचलाधिकारी, सदर से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न) अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि पर ही योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

11. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।


जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

- ज्ञापांक...3.02/यो0 दिनांक...07/03/2020
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल -01, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0प0 को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


27/03/20

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

4